

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.7(2)(5)पंचा/रानिआ/2016/ 263

जयपुर, दिनांक: 31/1/17

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत)

(कलक्टर) राजस्थान।

(जिला सिरोही को छोड़कर)

विषय : आम/उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रेषित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति बामनवास की ग्राम पंचायत भांवरा एवं राजसमंद जिले की पंचायत समिति भीम की ग्राम पंचायत कूकडा, लसाडिया, एवं थानेटा के आम चुनाव माह मई, 2017 में संपन्न होने हैं। वर्तमान में उक्त चारों ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली दिनांक 01.01.2014 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की हुई है। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं में गत उप चुनाव के पश्चात् रिक्त हुए/रहे पदों पर उप चुनाव भी करवाये जाने हैं। अतः उक्त चारों ग्राम पंचायतों के आम चुनाव एवं गत उपचुनाव के पश्चात् रिक्त हुए/रहे निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव हेतु मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 की अर्हता तिथि के संदर्भ में कराया जाना आवश्यक है। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

कार्यक्रम

1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	04.02.2017 को
2.	दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	13.02.2017 तक
3.	दावे व आपत्तियों का निस्तारण करना	22.02.2017 तक
4.	पूरक सूचिया तैयार करना	27.02.2017 तक
5.	निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	03.03.2017 को

मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 11(4) तथा 12 से 17 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूचियों पर प्राप्त दावे व आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् तैयार पूरक सूचियों को पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करने हेतु दिनांक 28.02.2017 एवं इनका लेजर प्रिंट तैयार करने हेतु दिनांक 02.03.2017 तक की अवधि निर्धारित की जाती है। निर्वाचक नामावली में संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान नाम जोड़ने/हटाने/संशोधित किए जाने हेतु ई-सूची पर पिंक पेड के माध्यम से प्रविष्टि कर पूरक सूची तैयार की जाएगी। पिंक पेड में प्रविष्टि किए जाने हेतु लिंक दिनांक 13.02.2017 से खुला होगा।

आयोग के ध्यान में आया है कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विभिन्न चुनाव याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जा रहे निर्णयों में किसी चुनाव विशेष को अवैध एवं शून्य घोषित करते हुए उस पद हेतु निर्धारित समयावधि में उपचुनाव कराने के निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि यदि आपके जिले में किसी पद हेतु माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे पारित किए गए निर्णय जिनमें उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं है, तो उन पदों के उप चुनाव के लिए भी मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य करा लिया जाए एवं पदों की रिक्ति का पूर्ण विवरण प्रारूप प्रकाशन की सूचना के साथ आयोग को प्रेषित किया जाए।

(चन्द्रशेखर मूथा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक:- 31/1/17

क्रमांक : एफ 7(2)(5) पंचा/रानिआ/2016/ 264-67

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. कम्प्यूटर/लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव

